श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2013 को "विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी।

सरकार यह कृत संकल्पित है कि जनवरी, 2014 से ट्रान्सफार्मरवार राजस्व संग्रहण के समानुपातिक विद्युत की आपूर्ति की जाए। इसलिए साप्ताहिक बैठकों में पूर्व प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा के पूर्व राजस्व संग्रहण, शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग, ससमय विद्युत विपत्र वितरण इत्यादि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत पत्रों में उल्लिखित निम्नलिखित महत्वपूर्ण निदेशों के अनुपालन का निश्चितरूपेण करने का निदेश विद्युत अभियंताओं को दिए गए :-

1. राजस्व संग्रहण एवं विद्युत विच्छेदन के कार्यो में तेजी लाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर दैनिक समीक्षा निश्चित रूप से की जाए :-
   - प्रत्येक डिवीजन में कनीय अभियंताओं को प्रतिदिन 10 विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन करने के दिए लक्ष्य को अर्जित करना।
   - प्रत्येक प्रशाखा में एक प्राथमिकी प्रतिदिन अवश्य की जाए।
   - प्रत्येक माह लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
   - बिलिंज एजेन्सी के द्वारा मीटर रीडिंग की कम्प्यूटर में प्रविष्टि का दैनिक समीक्षा करना।
2. मीटर रीडिंग, डाटा इंन्ट्री, प्रिन्टिंग, विपत्र वितरण एवं राजस्व वसूली के कार्य को तीन चरणों में प्रतिमाह तिथिवार करने हेतु प्रदत्त निदेश का अनुपालन बिलिंग एजेन्सी/मीटर रीडिंग एजेन्सी के सहयोग से कार्यपालक विद्युत अभियंता सुनिश्चित कराएँगे।
3. मीटर रीडिंग के सरलीकरण हेतु बिलिंग एजेन्सी द्वारा दिए जाने वाले मीटर रीडिंग शीट को ट्रान्सफॉर्मरवार निर्गत करने के लिए प्रमंडल स्तर पर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर (D.T.) को एक यूनिक आई0डी0 नम्बर दिए जाने की कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए। ताकि उपभोक्ता को ट्रान्सफॉर्मरवार सम्बद्ध किया जाए और एक सिस्टम कोड जेनरेट किया जा सके। उपभोक्ताओं को ट्रान्सफॉर्मरवार सम्बद्ध किए जाने का कार्य हरहाल में दिसम्बर माह के अन्त तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।
4. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए महत्वपूर्ण निदेशों को संक्षिप्त रूप से उल्लेख करते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं को अक्षरशः अनुपालन हेतु निदेश दिए गए :-
   - सभी जिला मुख्यालयों के शहर में 100% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 80% मीटर रीडिंग एवं उसके अनुसार विपत्रीकरण माह दिसम्बर, 2013 तक सुनिश्चित किया जाना।
   - रि-कंडक्टरिंग कार्य में गुणात्मक तेजी लाना।
   - शिविर लगाकर अधिक-से-अधिक संख्या में नए विद्युत उपभोक्ता बनाया जाना।
   - शहरी क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत बिलिंग सुनिश्चित कराना।
   - ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु पोल, तार, ट्रान्सफॉर्मर आदि आवश्यकताओं के लिए योजना तैयार करना।
   - जिस गॉव का ट्रांसफॉर्मर जल गया है और वहाँ बिजली का बकाया है, तो जबतक उस गॉव से 60% बकाये राजस्व का भुगतान नहीं होता है, तबतक ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाए।
   - दिसम्बर माह के अन्त तक सभी सरकारी आवास/कार्यालय को मीटरीकृत करना तथा नियमित रूप से मासिक विद्युत विपत्र उपलब्ध कराना।
   - प्रखण्डवार अभियान चलाकर विद्युत विपत्र उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी करना जिसके अन्तर्गत नए कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों को 30 दिनों के अन्दर निष्पादित कराना।
   - LTIS तथा NDS उपभोक्ताओं की पूर्णरूपेण मीटर रीडिंग कराया जाना।

- राजस्व वृद्धि के लिए तीन मुख्य बिन्दु यथा राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, बिल वितरण तथा बड़े बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेदन तथा उसके भुगतान पर फोकस करना।
- बिजली चोरी के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा 15 एवं सहायक तथा कनीय अभियंताओं को 25-25 विद्युत उपभोक्ताओं का निरीक्षण करना।
- बिजली चोरी के प्रत्येक मामले में फोटोग्राफी किया जाना तथा फोटोग्राफ को प्राथमिकी में साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जाना।

तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उपस्थित विद्युत अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिए गए :-

5. बैठक में उपस्थित श्री ओमप्रकाश रंजन, मीटर रीडर एजेन्सी के कार्यकारी को निदेश दिया गया कि गत विडियोकॉन्फ्रेंसिंग में दिए निदेश के अनुसार LTIS के अन्तर्गत disconnected विद्युत उपभोक्ताओं की सूची आगामी साप्ताहिक बैठक में अवश्य उपलब्ध कराएँगे।
6. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि सभी अनुमंडल/प्रखंड/अंचल मुख्यालयों का विद्युत विपत्र मद में बकाये राशि की गणना कर संख्यात्मक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को आगामी बैठक में अवश्य उपस्थापित करेंगे।
7. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5358, दिनांक 29.11.13 द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं बिजली कम्पनी के मध्य बिजली बिल से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रत्येक माह की 10वीं तारीख (अवकाश होने की स्थिति में अनुवर्त्ती दिवस अर्थात् 11वीं तारीख) को समाहरणालय परिसर में कैम्प आयोजित करने के प्रदत्त निदेश का अनुपालन निश्चितरूपेण कराया जाए।
8. इसी क्रम में दिनांक 28-29.11.2013 एवं दिनांक 20.12.2013 को शहरी क्षेत्र में नए विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध दिनांक 23.12.2013 तक निष्पादित आवेदनों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

नगर क्षेत्र	**प्राप्त आवेदनों की सं0**			**विद्युत सम्बन्ध निष्पादित आवेदन की सं0**			**प्रतिशत**
	28-29.11.13	20.12.13	कुल	28-29.11.13	20.12.13	कुल	
मुंगेर	552	245	797	191	--	191	23.96 %
जमालपुर	413	196	609	364	--	364	59.77 %
तारापुर	450	118	568	426	--	426	75.00 %
खड़गपुर	173	142	315	168	--	168	53.33 %
कुल	**1588**	**701**	**2289**	**1149**	--	**1149**	**50.20 %**

सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि दिनांक 28-29.11.13 को आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन दिसम्बर माह तक निश्चित रूप से कर लेंगे तथा दिनांक 20.12.13 को प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निष्पादित कराएँगे।

9. जनवरी, 2014 से उर्जा विभाग इस कार्य हेतु कृत संकल्पित है कि ट्रान्सफार्मरवार वसूली के समानुपात में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति किया जाए, परन्तु पूर्व बैठकों में समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होना चिंताजनक है कि जिले के कुल 29 फीडरों, यथा-मुंगेर-10, जमालपुर-12, तारापुर-04 एवं खड़गपुर-03 में से अधिकांश विद्युत अभियंता द्वारा फीडरवार वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। अतः पुनश्च कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विशेष अभिरूचि लेते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं से माह दिसम्बर, 2013 तक ट्रान्सफार्मरवार मांग एवं वसूली से संबंधित प्रतिवेदन आगामी साप्ताहिक बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाए।

10.वैकल्पिक व्यवस्था के तहत **धरहरा, असरगज, बरियारपुर, टेटियाबबर एव संग्रामपुर** प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में विद्युत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के उपरान्त कार्यरत् काउण्टर के माध्यम से विद्युत बिल हेतु वसूली गई राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	प्रखंड का नाम	वसूली गई राशि
1	धरहरा	47144.00
2	बरियारपुर	4704.00
3	टेटियाबंबर	43750.00
4	संग्रामपुर	31245.00
	कुल राशि	**126843.00**

11.कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत् कर्मियों की संख्या यथावत् है, जो निम्न है :–

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
	Total	**16**	**76**

12.विभागीय निदेश के अनुसार मीटर रीडिंग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया है जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र, वाणिज्य उपभोक्ताओं (LTIS-1) तथा बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं (LTIS-2) की शत–प्रतिशत मीटर रीडिंग करना है। अतएव मीटर रीडिंग एजेन्सी एवं कार्यरत् कर्मियों के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से करते हुए मीटर रीडिंग की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी के साथ शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित की जा सके।

13.विद्युत कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रवार आवश्यकता आधारित 16KVA तथा 25KVA को बदलकर क्रमशः 63KVA तथा 100KVA के ट्रांसफॉर्मरों की सूची माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों को पुनः उपलब्ध कराते हुए सहमति प्राप्त कर ट्रांसफॉर्मरों का प्राक्कलन संबंधित विद्युत अभियंता से यथाशीघ्र प्राप्त कर जिला योजना कार्यालय को भेजते हुए उसकी अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।

14.प्रत्येक अनुमंडल में 132/33KVA का ग्रीड सब–स्टेशन का स्थापना किया जाना है, जिसका शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने का निदेश विद्युत कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

15.10,000/– रूपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपत्र बकायेदार उपभोक्ताओं की अनुमंडलवार अद्यतन विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय	कुल बकायेदारों की संख्या	बकाया राशि भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की सं0	अवशेष बकायेदारों की सं0	दिनांक 23.12.13 तक विद्युत विच्छेदित उपभोक्ताओं की सं0	प्रतिशत
1	मुंगेर सदर	5604	1569	4035	532	13.18%
2	जमालपुर	4302	1542	2760	1145	41.48%
3	तारापुर	3646	1145	2501	614	24.55%
4	खड़गपुर	1869	533	1336	686	51.35%
	कुल	**15421**	**4789**	**10632**	**2977**	**28.00%**

समीक्षा के क्रम में कार्य0 अभि0 द्वारा अवगत कराया गया कि बकायेदार 4789 उपभोक्ताओं से बकाया राशि के रूप में 574.55 लाख रू0 की वसूली की गई है। निदेश दिया गया कि अवशेष बकायेदारों के विभागीय निदेशानुसार विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन की कार्रवाई में तीव्रता लाऐंगे।

16.निर्णय लिया गया कि चेकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाए।

17.**Reconducturing:-** समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि रि-कंडक्टरिंग कार्य में प्रगति काफी कम हो रही है। स्पष्ट है कि कुल 619 कि0मी0 में से अबतक कुल 363.64KM एवं दिनांक 23.12.13 तक 8.33KM Reconducturing का कार्य किया गया है। विद्युत अनुमंडल कार्यालयवार संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	विद्युत अवर प्रमंडल	लक्ष्य (कि0मी0)	दिसम्बर में (कि0मी0)	23.12.13 तक (कि0मी0)	कुल Reconducturing	प्रतिशत
1	मुंगेर	60	48.12	1.33	49.45	82.42%
2	जमालपुर	237	129.36	0.0	129.36	54.58%
3	तारापुर	190	132.62	0.0	132.62	69.80%
4	खड़गपुर	132	45.21	7.0	52.21	39.55%
कुल		**619**	**355.31**	**8.33**	**363.64**	**58.75%**

विभागीय निदेशानुसार प्रति माह कम-से-कम 25 कि0मी0 Reconducturing के लक्ष्य को अबतक अर्जित नहीं किया जाना खेदजनक है। इस हेतु कार्य0 अभि0 को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप Reconducturing कार्य सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएँ।

18.कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों का निष्पादन नियमित रूप से करते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

19.शहरी क्षेत्रों, यथा- मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर में 100% मीटर रीडिंग एवं नए कनेक्शन दिए जाएँ। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगा।

20.विद्युत connection लेने वाले नए उपभोक्ताओं की सुगमता हेतु समय-समय पर शिविर लगाने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2586 /गो0, दिनांक 24/12/2013

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2586 /गो0, दिनांक 24/12/2013

प्रतिलिपि : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंधक निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/12/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।